पत्रावली वास्ते जवाब/बहस में
दिनांक 21-5-26 को पेश हो।

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश नं. 1
अजमेर (राज.)

दिनांकः—21.05.2026

वादी व प्रतिवादीगण के अधिवक्ता उपस्थित। वादी की ओंर सें एक आवेदन—पत्र दिनांक 13.05.2026 को आदेश 7 नियम 14(3) सपठित धारा 151 दीवानी प्रक्रिया संहिता का प्रस्तुत किया गया। जिसका प्रतिवादी की ओंर जवाब न दिया जाकर बहस की गई।

उभयपक्षकारान को सुना गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वादी की ओंर से उक्त आवेदन—पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण द्वारा स्वयं के हक में निष्पादित विक्रय विलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपि अन्य दीवानी वाद से प्राप्त कर उक्त प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की जा रही है साथ ही दीवानी वाद सं. 313/2014 योगेन्द्र सिंह बनाम सूबेसिंह में प्रस्तुत अन्य दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपिया प्राप्त कर माननीय न्यायालय के समक्ष इस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की जा रही है। उक्त समस्त दस्तावेजात वाद विषय वस्तु से सम्बधित होकर साक्ष्य में सुसंगत है एवम् न्यायालय से प्राप्त प्रमाणित प्रतिलिपिया है। जिन्हें साक्ष्य ग्राह्य किया जाना आवश्यक है जिसमें वादीगण के हक में वादी अधीन सम्पति के विक्रय पत्रों की प्रमाणित प्रतिलिप तथा वादी व प्रतिवादीगण के मध्य विचाराधीन मुकदमों के बयान, निर्णय, पुलिस कार्यवाहीया इत्यादि सम्मिलित है, जो साक्ष्य में ग्राह्य होना योग्य है। उक्त दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लेने से

प्रतिवादी के किसी भी विधिक अधिकारों का हनन नहीं होगा बल्कि न्यायनिर्णयन में असानी रहेगी एवम् प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर हो सकेगा अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि संलग्न मूल दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियों को रिकॉर्ड पर लिया जाकर साक्ष्य में ग्राहय किया जाने के आदेश देने की कृपा करें। इसके समर्थन में वादी ने स्वयं शपथ–पत्र पेश किया गया।

प्रतिवादी की ओंर से उक्त आवेदन–पत्र को कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। उनका तर्क है कि उक्त दस्तावेजात देरी से प्रस्तुत किये गये है जिसका कोई न्यायोचित कारण प्रार्थना–पत्र में नहीं बताया गया है अतः प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जावें।

उभयपकारान को सुना गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा जो दस्तावेज पेश किये गये है वह प्रमाणित प्रतिलिपियां है। वाद के न्यायनिर्णय में सहायक होगें। इसलिए इसे अभिलेख पर लिया जाना न्यायोचित हैं।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन–पत्र आदेश 7 नियम 14(3) सपठित धारा 151 दीवानी प्रकिया संहिता स्वीकार कर सलंग्न दस्तावेजात को अभिलेख पर लिया जाता हैं पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 8-07-26 कों पेश हों।

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश नं. 1
अजमेर (राज.)